उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

U.P. University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206130 (India)

Phone : 05688-276563 Fax : 05688-276509

पत्रांकः 807 /यूपीयूएमएस/अधि0–07(1863–सी0डी0)/2024–25 दिनांकः 10 जून, 2024

सेवा में,

प्रभारी,
सी0ए0सी0 विभाग,
यू0पी0यू0एम0एस0,
सैफई, इटावा।

विषयः– विभिन्न शिकायतों/आपत्तियो के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कैडर पुनर्गठन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण हेतु दिनांक 21.05.2024 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई।

उक्त बैठक में प्राप्त शिकायतों तों पर विचार विमर्श किये जाने के उपरान्त सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त पृष्ठ सं0 01 से 12 एवं पृष्ठ सं0 01 तक संलग्न कर आपको इस आशय से प्रषित है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(प्रो0 (डॉ0) एस0 पी0 सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. वित्त अधिकारी।
2. चिकित्सा अधीक्षक।
3. निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी स्टाफ, प्रति–कुलपति।
5. कार्यालय प्रति।

(प्रो0 (डॉ0) एस0 पी0 सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक

कैडर पुनर्गठन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2024 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

कैडर पुनर्गठन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2024 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थेः–

1. प्रति कुलपति।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलसचिव।
4. चिकित्सा अधीक्षक।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
6. सम्बन्धित पटल सहायक।

उक्त बैठक में सी0एस0एस0डी0/ई0एन0टी0/रेडियोलॉजी/फ़िजियोथेरेपी/ऑप्थलमोलॉजी/ओ0टी0 टेक्नीशियन/लैब टेक्नीशियन संवर्ग में कार्यरत निम्नवत् कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गयेः–

सी0एस0एस0डी0 संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1.	श्री रिपुन्जय मिश्र, सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.03.2024	उक्त पत्र में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि का0आ0सं0 4184 दिनांक 26.12.2023 द्वारा सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में प्रार्थी को टेक्निकल ऑफिसर (सी0एस0एस0डी0) पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4184 दिनांक 26.12.2023 द्वारा सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में इनका डिप्लोमा निम्स युनिवर्सिटी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी होने के कारण उक्त डिप्लोमा का वेरिफिकेशन प्रचलन में होने के कारण इन्हें टेक्निकल ऑफिसर (सी0एस0एस0डी0) पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदोन्नति नहीं की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा का वेरिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त कार्मिक के पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

क्रमशः.......2

ई0एन0टी0 संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
2.	श्री अजय सिंह, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.03.2024	उक्त पत्र में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0 RIMS/004/2006-07 द्वारा इनकी नियुक्ति ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के पद पर की गयी थी, जिसकी शैक्षिक अर्हता निम्नवत् थीः– स्नातक (भौतिकी विषय से) पास तथा आडियोमीटर के कार्य व रखरखाव का 1 वर्ष का अनुभव अथवा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन इंजी0 में 3 वर्षीय डिप्लोमा व वांछनीय योग्यता– हियरिंग एड की फिटिंग तथा मरम्मत का अनुभव। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा का0आ0सं0 5403 दिनांक 29.02.2024 द्वारा ई0एन0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन में दो पदनाम ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन व स्पीच थेरेपिस्ट को संविलन किया गया है, जबकि दोनों पदों की भौक्षिक योग्यता और कार्य व उत्तरदायित्व अलग–2 हैं। प्रार्थी को प्रवेशित स्तर टेक्निकल ऑफिसर (ई0एन0टी0) पद लेवल–6 पद पर पदस्थापित करते हुए वेतन संरक्षित किया गया है। उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराया गया है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में Audiometrician पदनाम से पद स्वीकृत था, जिसे Neuro-otology Technician Cadre में टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड–।। लेवल–6 में संविलीन करते हुए पदोन्नति दी गयी है। Neuro-otology Technician Cadre लेवल–6 में Audiometrician पदनाम की शैक्षिक अर्हता Diploma, Certificate in Audiometry/Speech/ Hearing है। उक्त पत्र में इनके द्वारा Audiometry Technician को Length of Service के आधार पर टेक्निकल ऑफिसर के पद पर पदस्थापित करते हुए Senior Technical Officer (ENT) पद पर वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व का0आ0सं0 4681 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ई0एन0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन में अंकित शैक्षिक अर्हता B.Sc. Degree in Speech and Hearing from a recognized Institution/ University. OR (i) Diploma, Certificate in Audiometry/ Speech/Hearing. (ii) 01 year experience in at least 50 Bedded hospital. में संशोधन किये जाने सम्बन्धी मा0 कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में संशोधित का0आ0सं0 5403 दिनांक 29.02. 2024 द्वारा ई0एन0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के प्रवेशित स्तर टेक्निकल ऑफिसर (ई0एन0टी0), लेवल–6 की शैक्षिक अर्हता में संशोधन B.Sc. Degree in Speech and Hearing from a recognized Institution/University. Desirable: (i) B.Sc. (Hons) in Speech and Hearing (ii) Clinical experience in a hospital (Neuro-otology) करते हुए ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन पद तथा स्पीच थेरेपिस्ट पद पर कार्यरत कार्मिकों को टेक्निकल ऑफिसर (ई0एन0टी0), लेवल–6 पर पदस्थापित/संविलीन किया गया है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।

क्रमशः.......3

रेडियोलॉजी संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
3.	श्री प्रहलाद प्रभाकर, श्री ओरी लाल, श्री राजेन्द्र कुमार अनुरागी सीनियर टेक्निकल आफिसर (रेडियोलॉजी) द्वारा प्रस्तुत सयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 17.02.2024	इनका पत्र रेडियोलॉजी विभाग के कैडर के लेन्थ ऑफ सर्विस एवं वरिष्ठता क्रम में 4 से 6 पर अंकित कार्मिकों को भी चीफ टेक्निकल ऑफिसर पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसमें अवगत कराया गया है कि 03 कार्मिकों को लेन्थ ऑफ सर्विस के अन्तर्गत पदोन्नति/पदस्थापन का लाभ नहीं प्रदान किया गया है, जबकि 06 पद चीफ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के रिक्त हैं। उक्त पत्र में उनके द्वारा का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 01 व 04 के क्रम में चीफ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद पर पदोन्नति/पदस्थापन किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 3943 दिनांक 21.12.2023 द्वारा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 1 व 2 के अनुसार तथा का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 01 व 04 में लेंथ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के क्रम में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग में कार्यरत 02 कार्मिकों को सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद पर पदस्थापित करते हुए चीफ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद पर पदोन्नति तथा 12 कार्मिकों को टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद पर पदस्थापित करते हुए सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।
4.	श्री सजय सिंह, श्री राकेश कुमार शुक्ला, श्री मनोज कुमार राय, श्री प्रहलाद प्रभाकर, श्री राजेन्द्र कुमार अनुरागी, मो0 जहीरूद्दीन, श्री ओरी लाल, मो0 रासिद, श्री प्रदीप कुमार, श्री अनिल यादव, सीनियर टेक्निकल आफिसर (रेडियोलॉजी) तथा श्री स्वेतावक्षर चैतन्य, मो0 उवैश अन्सारी टेक्निकल आफिसर (रेडियोलॉजी) द्वारा प्रस्तुत सयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 22.02.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा न्यू कैडर सरचना में सृजित रेडियोथेरेपी/ डायलिसिस/ डेन्टल संवर्ग की भाँति रेडियोलॉजी सवर्ग में सृजित चीफ टेक्नीकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के कुल 8 पद को बढ़ाते हुए पदस्थापन/पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि का0आ0सं0 3943 दिनांक 21.12.2023 द्वारा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 24.02.2023 द्वारा एन0एम0सी0 कैडर के अनुसार टेक्नीशियन कैडर में सृजित कुल 840 पदों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 03.11.2023 को मा0 कुलपति महोदय द्वारा चिकित्सा अधीक्षक महोदय के साथ हास्पिटल की आवश्यकता को देखते हुए टेक्नीशियन कैडर में पदवार डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार विमर्श उपरान्त शासन द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के सृजित कुल 840 पदों का पदवार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात् रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग हेतु कुल 105 पदों का निर्धारण किया गया, जिसमें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) पद के कुल 16 पद तथा चीफ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के कुल 08 पद निर्धारित किये गये हैं।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	

क्रमशः........4

फिजियोथेरेपिस्ट संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्राथना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
5.	श्री अजय सिंह कुशवाहा एवं श्री प्रमोद कुमार वर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 06.12.2023, 05.01.2024 व 08.02.2024	उक्त पत्र में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण के नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता पी0जी0आई0 के अनुसार त्रिवर्षीय डिप्लोमा था, जबकि प्रार्थीगण 4.5 वर्षीय स्नातक डिग्रीधारक थे। वर्तमान में लागू कैडर की शैक्षिक योग्यता को आधार दर्शाया गया है, वह इसी वर्ष पी0जी0आई0 ने लागू किया है। यह आधार नई नियुक्तियों पर लागू होनी चाहिए न कि पूर्व से कार्यरत कार्मिकों पर। विभिन्न एम्स में जूनि0 फिजियोथेरेपिस्ट की शैक्षिक योग्यता स्नातक ही है। उक्त पत्र में इनके द्वारा अपनी पदोन्नति वरिष्ठ फिजियोथेरेपस्टि पद पर किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पत्र दिनांक 05.01.2024 में उनके द्वारा का0आ0सं0 3501 दिनांक 02.12.2023 द्वारा फिजियोथेरेपस्ट संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के क्रम में अवगत कराया गया है कि इन्ट्री लेवल Junior Physiotherapist पद की शैक्षिक अर्हता MPT दर्शायी गयी है, जबकि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ ने अपने यहाँ पूर्व से Physiotherapist पद पर कार्यरत कार्मिकों को उनकी लेंथ ऑफ सर्विस व वर्तमान योग्यता जो कि डिप्लोमा/डिग्री है, के आधार पर ही उनकी प्रोन्नति Senior Physiotherapist/ Superintendent Physiotherapist के पदों पर की गयी है। उक्त पत्र में उनके द्वारा फिजियोथेरेपस्टि संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के सम्बन्ध में पुनर्विचार करते हुए एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से पत्राचार कर उक्त संवर्ग की वहाँ पर प्रचलित व्यवस्था को विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग पर लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही पत्र दिनांक 05.01.2024 में उनके द्वारा का0आ0सं0 5011 के बिन्दु सं0 7 के अनुसार पर वर्णित मानकीकरण शासनादेश में उल्लिखित प्रवेशित स्तर की शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने वाले पदधारकों को पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा अपितु शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने वाले कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा, के क्रम में मानकीकरण शासनादेश उपलब्ध कराने एवं शैक्षिक योग्यता व किस ई0सी0 अथवा शासनादेश के आधार पर पुनरीक्षित की गयी है, की प्रति भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 3501 दिनांक 02.12.2024 द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की शैक्षिक योग्यता/अर्हता "Master Degree in Physiotherapist Therapy (MPT)" पूर्ण होने पर ही उच्चतर पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में इनकी उक्त शैक्षिक योग्यता/अर्हता पूर्ण न होने के क्रम में इनकी पदोन्नति नहीं की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री अजय सिंह कुशवाहा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की गयी है। प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।

क्रमशः........5

ऑष्थलमोलॉजी संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्राथना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
6.	श्री बिमलेश कुमार, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 30.01.2024, 08.02.2019, 13.02.2024 तथा 1.02.2024	उक्त पत्र में इनके द्वारा का0आ0सं0 4604 दिनांक 15.01.2024 द्वारा ऑप्थलामोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 RIMS/004/2006-07 द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता पूर्ण किये जाने के सापेक्ष प्रार्थी का चयन किया गया था। ऑप्थलामोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी टेक्नीशियन संवर्ग में बी0एस0सी0 अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। उक्त पत्र में उनके द्वारा ऑप्थलामोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग में B.Sc. or Diploma पाठ्यक्रम का प्राविधान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इन्होंने पत्र दिनांक 08.02.2019 तथा 13.02.2024 द्वारा संशोधित का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 07 में उल्लिखित शर्त को दिनांक 12.09.2023 को हुई कार्य परिषद की बैठक के क्रम मे उल्लिखित शर्त को निरस्त करते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति किये जाने तथा उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार सम्बन्धित कनिष्ठ कार्मिक की प्रोन्नति उक्त संशोधित कार्यालय आदेश के बिन्दु सं0–7 का निस्तारण नियमानुसार एवं विधिक दृष्टि से करने के उपरान्त किये जाने एवं पूर्व में मांगे गये मानकीकरण शासनादेश की प्रति व शैक्षिक योग्यता किस ई0सी0 अथवा शासनादेश के आधार पर पुनरीक्षित की गयी है, की प्रति भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। साथ ही पत्र दिनांक 21.02.2024 द्वारा अवगत कराया है मेरी शैक्षिक अर्हता डिप्लोमा इन आप्टोमेट्रिस्ट है व मेरे जूनियर योगेन्द्र सिंह की शैक्षिक अर्हता डिप्लोमा इन आप्टोमेट्रिस्ट थी किन्तु उनके द्वारा डिस्टेन्स एजुकेशन से बैचलर इन ऑप्टोमेट्री करने के उपरान्त प्रमोशन कर दिया गया एवं मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। का0आ0सं0 4999 के बिन्दु सं0 7 में मानकीकरण शासनादेश में उल्लेख है कि:– प्रवेशित स्तर की शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने वाले पदधारकों को पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा अपितु शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने वाले कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा, जो कि सरासर निराधार है। उक्त के क्रम में उनके द्वारा पुनः विचार करते हुए अपने को भी पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4604 दिनांक 15.01.2024 द्वारा ऑप्थलामोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु शैक्षिक योग्यता/अर्हता "B.Sc. in Ophthalmic Techniques or equivalent from a recognized University Institution." पूर्ण होने पर ही उच्चतर पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में इनकी उक्त शैक्षिक योग्यता/अर्हता पूर्ण न होने के क्रम में इनकी पदोन्नति नहीं की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री बिमलेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की गयी है। प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।

क्रमशः.......6

ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्राथना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
7.	श्री प्रशांत कुमार एव श्री नागेन्द्र कुमार, टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनिस्थीसिया) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 02.03.2024 व दिनांक 24.02.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय आदेश 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुर्नगठन के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ मे सृजित पद ओ0टी0 असिस्टेन्ट हेतु सीधी भर्ती की शैक्षिक योग्यता B.Sc Plane or 10+2 Science with 5 years Experiences से अवगत कराते हुए उक्त के आधार पर पदोन्नति का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्मिकों द्वारा का0आ0सं0 5134 दिनांक 13.02.2024 द्वारा टेक्नीशियन (एनेस्थिसिया) लेवल–6 से सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (एनेस्थिसिया) लेवल–8 पर की गयी पदोन्नति के क्रम में उनकी पदोन्नति न होने से अवगत कराते हुए उल्लेख किया गया है कि कतिपय कार्मिक जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते थे बल्कि Plain B.Sc. की योग्यता धारित करते थे, उन्हें अर्ह मानते हुए पदोन्नति कर दी गयी है, के क्रम में भविष्य में उनकी Plain B.Sc. की योग्यता पूर्ण होने पर उन्हें भी पदोन्नति हेतु अर्ह मान लिया जायेगा, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में दिनांक 12.02.2024 को लिये गये निर्णय के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने के कारण उक्त कार्मिकों को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।
8.	श्री प्रशात कुमार एव श्री नागेन्द्र कुमार, टेक्नीकल असिस्टेन्ट (एनिस्थीसिया) द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 22.02.2024 / 21.03. 2024 / 20.04.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है किः– उनकी नियुक्ति एनेस्थिसिया टेक्नीशियन पद, लेवल–4 पर की गयी थी। भर्ती के समय विज्ञापित पद की शैक्षिक योग्यता 10+2 with Science subjects from recognised board/Institutions and one year experience in the related field थी। विज्ञापन में B.Sc. degree alongwith diploma in related speciality or Ex. Serviceman with experience as operating room technician will be given preference उल्लिखित था, जो कि उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने से सम्बन्धित था। उनके साथ चयनित कुल 07 अन्य एनेस्थिसिया टेक्नीशियन की कार्यालय आदेश सं0 5133 दिनांक 13.02.2024 द्वारा पदोन्नति की गयी किन्तु उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। उक्त पत्र में उनके द्वारा अपनी पदोन्नति टेक्नीशियन (एनेस्थिसिया) लेवल–6 से सीनियर टेक्नीशियन (एनेस्थिसिया) लेवल–8 पर पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।			

क्रमशः.......7

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
9.	श्री ऋषि कुशवाहा, श्री राजेश ठाकुर, टेक्नीशियन (कैथलैब) तथा श्री नम्रता अग्नीहोत्री, श्री विवेक कुमार त्रिवेदी, श्री गोविन्द माधव टेक्नीशियन (सी0वी0टी0एस0 ओ0टी0) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 28.02.2024	उक्त कार्मिको द्वारा कार्यालय आदेश 5135 दिनांक 13.02.2024 द्वारा की गयी पदोन्नति के क्रम में जेष्ठता सूची के सम्बन्ध में टेक्नीशियन (एनेस्थीसिया) लेवल–5 की भाँति अपने पद टेक्नीशियन (कैथ लैब/सी0वी0टी0एस0ओ0टी0) लेवल–5 को भी ओ0टी0 असिस्टेन्ट लेवल–2 के ऊपर रखते हुए ज्येष्ठता क्रम में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में का0आ0सं0 5135 दिनांक 13.02.2024 द्वारा ओ0टी0 असिस्टेन्ट/ टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया/ कैथ लैब/सी0वी0 टी0एस0/ एनिमल ऑपरेशन रूम) के पद लेवल–5 पर कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति लेवल–6 पर उनके मूल कैडर में वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर की गयी है। चूंकि उक्त पदोन्नति कई पदों को सम्मिलित करते हुए की गयी है, जो उनके मूल कैडर में वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर है, अतः दिनांक 12.02.2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार ओ0टी0 असिस्टेन्ट/ टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया/ कार्डियोलॉजी/न्यूरो फिजियोलॉजी /कैथ लैब/ सी0वी0 टी0एस0/ एनिमल ऑपरेशन रूम) के पदों पर कार्यरत कार्मिकों की उनके विज्ञापन वर्ष तथा वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता सम्मिलित रूप से जारी की जा सकती है।	उक्त प्रकरण में दिनांक 12.02.2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार ओ0टी0 असिस्टेन्ट/टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया/कार्डियोलॉजी/न्यूरो फिजियोलॉजी/कैथ लैब/ सी0वी0टी0एस0/एनिमल ऑपरेशन रूम) के पदों पर कार्यरत कार्मिकों की उनके विज्ञापन वर्ष तथा वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता सम्मिलित रूप से जारी किये जाने हेतु आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं ओ0टी0 टेक्नीशियन कैडर में संविलीन किये गये पदधारकों की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. विज्ञापन 2. नियुक्ति पत्र 3. मेरिट 4. ज्वाइनिंग 5. आयु

क्रमशः.......8

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्राथना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
10.	एनास्थासिया कम ओ0टी0 टेक्नीशियन, ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन संवर्ग में कार्यरत 09 कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26.02.2024/27.02.2024 व 02.04.2024 ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन संवर्ग में कार्यरत 06 कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 01.03.2024/07.03.2024 व 22.03.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा कार्यालय आदेश सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुर्नगठन के क्रम में अवगत कराया गया है कि– प्राथीगणों को टेक्निकल असिस्टेन्ट लेवल–5 पर संविलन किया गया है, जबकि प्रार्थीगणों को लेवल–6 पर टेक्नीशियन (ओ0टी) के समकक्ष मानकर संविलन किया जाना चाहिए था क्योंकि प्रार्थीगण पूर्व से टेक्नीशियन पद लेवल–5 में कार्यरत हैं। एन0एम0सी0 नियमावली में टेक्नीशियन (ओ0टी) संवर्ग को सीधी भर्ती के माध्यम से लेवल–6 पर विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद को लेवल–2 से लेवल–5 मानकर लेवल–6 में पदोन्नति प्रदान किया गया है तथा वरिष्ठता के क्रम में आगे रखा गया है, जबकि हमारी शैक्षिक योग्यता कहीं ज्यादा थी। साथ ही उनका वेतनमान, लेवल एवं पदनाम कम होने के बावजूद उन्हें वरिष्ठता क्रम में आगे रखा गयी है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा टेक्नीशियन (ओ0टी0) पद पर दिनांक 12.09.2023 से लेवल–6 पर पदस्थापित करते हुए पदोन्नति किये जाने तथा वरिष्ठता क्रम को बरकरार रखे जाने का अनुरोध किया गया है। ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन के उक्त पत्र दिनांक 22.03.2024 पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा यह पृच्छा की गयी है कि:–"Why O.T. Technician are demoted to O.T. Assistant."	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के अनुसार तथा का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 01 व 04 में लेंथ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के क्रम में ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग में ओ0टी0 असिस्टेन्ट/टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया/कार्डियोलॉजी/न्यूरो फिजियोलॉजी/कैथ लैब/सी0वी0टी0एस0/एनिमल ऑपरेशन रूम) के पदों पर कार्यरत अर्ह कार्मिकों का पदस्थापन व पदोन्नति की गयी है।	उक्त 08 ओ0टी0/ एनास्थासिया टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 22.03.2024 पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा यह पृच्छा कि "Why O.T. Technician are demoted to O.T. Assistant." के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 1 के क्रम में तथा का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उक्त 08 ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन, लेवल–5 को टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया) पद, लेवल–5 पर पदस्थापित किया गया है। पदोन्नति हेतु उक्त कार्मिकों द्वारा निर्धारित 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही टेक्नीशियन (एनेस्थिसिया) पद लेवल–6 पर पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि चूंकि इनकी नियुक्ति एनेस्थिसिया कम ओ0टी टेक्नीशियन तथा ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन पद लेवल–5 पर की गयी थी एवं न्यू कैडर संरचना में टेक्नीशियन (ओ0टी0) का पद लेवल–6 में सृजित है, जिसमें सीधी भर्ती हेतु उल्लिखित शैक्षिक अर्हता इनके विज्ञापित पद की शैक्षिक अर्हता के समान है। अतः समान शैक्षिक अर्हता के आधार पर ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग में लेवल–5 पर पदस्थापित एनेस्थिसिया कम ओ0टी टेक्नीशियन, ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन तथा सी0वी0टी0एस0 ओ0टी0 टेक्नीशियन पद पर कार्यरत कार्मिकों को कार्यपरिषद की तिथि दिनांक 12.09.2023 से लेवल–6 पर पदस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	श्री अजीत कुमार, ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 27.02.2024/22.03.2024	उक्त कार्मिक द्वारा ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद की सेवा दिनांक 06.02.2016 से दिनांक 05.12.2029 तक तथा दिनांक 06.12.2019 से अब तक ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन पद की सेवा को जोड़ते हुए टेक्नीशियन (एनेस्थिसिया) लेवल–06 में पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 22.03.2024 पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा "Put up through file." के निर्देश प्राप्त हुए हैं।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 2 के अनुसार श्री अजीत कुमार, ओ0टी0/एनेस्थिसिया टेक्नीशियन को टेक्निकल असिस्टेन्ट (एनेस्थिसिया) पद लेवल–5 पर पदस्थापित किया गया है।	चूंकि श्री अजीत कुमार इस विश्वविद्यालय में दिनांक 06.12.2016 से दिनांक 05.12.2019 तक ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद पर कार्यरत थे। तत्पश्चात् तकनीकि त्यागपत्र देते हुए दिनांक 06.12.2019 को ओ0टी0/ एनेस्थिसिया टेक्नीशियन पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। अतः का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 01 लेंथ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के क्रम में इन्हें टेक्नीशियन (ओ0टी0) समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	

क्रमशः.......9

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
12.	श्री अंचल कुमार प्रजापति, श्री ओमपाल सिंह, श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री लाखन सिंह, टेक्नीशियन (ओ0टी0) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 08.04.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा एन0एम0सी0 मानक के अनुसार ओ0टी0 असिस्टेन्ट के कैडर को ओ0टी0 असिस्टेन्ट/ओ0टी0 टेक्नीशियन का ही पद कैडर में रखे जाने तथा जिन पदों का नाम उक्त कैडर में अंकित नहीं है उनको अन्य पद की श्रेणी में रखकर उनका अलग कैडर बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 शासनादेश सं0 71–4099/1051/2022–I/ 280291/ 2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा न्यू कैडर संरचना के अन्तर्गत सृजित टेक्नीशियन संवर्ग के कुल 840 पदों का सक्षम स्तर से पदवार डिस्ट्रीब्यूशन के उपरान्त ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के कुल 205 पदों का निर्धारण किया गया है, जिसके क्रम में ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग में अन्य टेक्नीशियन पदों को भी सम्मिलित किया गया है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया की गयी है, तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।
13.	श्री अंचल कुमार प्रजापति, श्री ओमपाल सिंह एवं श्री लाखन सिंह, टेक्नीशियन (ओ0टी0) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 25.04.2024	उक्त कार्मिकों द्वारा अपनी 16 वर्षों की सर्विस के क्रम में ACR Safisfactory होने पर एम0ए0सी0पी0 का कोई लाभ प्रमोशन में नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए पदोन्नति पद का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद, लेवल–2 व 3 पर कार्यरत कार्मिकों को का0आ0सं0 4680 दिनांक 19.01.2024 द्वारा ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के क्रम में दिनांक 12.09.2023 से लेवल–5 पर पदस्थापित करते हुए का0आ0सं0 5135 दिनांक 13.02.2024 द्वारा टेक्नीशियन (ओ0टी0) पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त अनुरोध के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 4 में लिये गये निर्णय– "एम0ए0सी0पी0/पदोन्नति की तिथि से लेंथ ऑफ सर्विस की गणना करते हुए उच्च पद हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित करते हुए डी0पी0सी0 की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी" के क्रम में उक्त 03 कार्मिकों की ACR Safisfactory होने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को विस्तारित किये जाने के कारण का0आ0सं0 73 दिनांक 05.04.2024 द्वारा इनकी पदोन्नति की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है।	उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदोन्नति की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है, तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि चूंकि इन्हें लेवल–2 से लेवल–3 में एम0ए0सी0पी0 प्रदान की गयी है जबकि न्यू कैडर संरचना में इनका पदस्थापन लेवल–5 में हुआ है, जिसके कारण इनके ACR Satisfactory के आधार पर पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः उक्त 03 कार्मिकों की ACR Satisfactory होने पर एम0ए0सी0पी0 अनुन्यता की तिथि को विस्तारित किये जाने के कारण पदोन्नति की तिथि में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी कार्यालय आदेश सं0 73 दिनांक 05.04.2023 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्रमशः........10

लैब टेक्नीशियन संवर्गः–

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
14.	श्री नीरज सिंह, श्री अदित्य कुमार, श्री रंजीत कुमार प्रसाद, श्री रंजीत जार्ज, मो0 अबरार अहमद, श्री हरि ओम, श्री बालचन्द कुमार, टेक्निकल ऑफिसर (लैब) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 04.04.2024	उक्त कार्मिको द्वारा कैडर पुनगठन सम्बन्धी संशोधित का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 का उल्लेख करते हुए एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ तथा एम्स नई दिल्ली की भांति अपने पद को लेवल–6 में संविलीन के उपरान्त सर्विस लेन्थ जोड़ते हुए लेवल–7 में पदस्थापित करते हुए लेवल–8 में पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु सं0 11–21 के क्रमांक 4 के क्रम में का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के उपरान्त का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 01 व 04 में लेंथ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के क्रम में का0आ0सं0 5097 दिनांक 10.02.2024 द्वारा उक्त कार्मिकों को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद, लेवल–6 पर कार्यपरिषद की तिथि दिनांक 12.09.2023 से पदस्थापित करते हुए कार्यालय आदेश सं0 5096 दिनांक 10.02.2024 द्वारा उन्हें टेक्निकल ऑफिसर (लैब) पद, लेवल–7 पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।		
15.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यू0पी0यू0एम0एस0, एम्पलाइज एसो0, सैफई इटावा द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.03.2024	उक्त पत्र में उनके द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग का संविलन एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की भांति मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड–पे 4200 पर करते हुए सेवा अवधि का लाभ देते हुए लेवल–7 में पदस्थापन एवं लेवल–8 पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।		उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।
16.	श्री मुकेश कुमार, श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, श्री आशिष मणी त्रिपाठी, श्री मुकेश गार्ग्य, श्री धमेन्द्र कुमार, श्री अफलातून, श्री मिलन शुक्ला, श्री उमेश गुप्ता, श्री अनिल कुमार, श्रीमती भावना गौतम, सुश्री सोनाली चतुर्वेदी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा प्रस्तुत सयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 13.03.2024	उक्त कार्मिको द्वारा कार्यालय आदेश सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 2 व 5 क्रम में लेन्थ ऑफ सर्विस का लाभ प्रदान न किये जाने तथा पदास्थापित किये बिना ही पदोन्नति किये जाने से अवगत कराते हुए न्यायोचित निर्णय लिये जाने का अनरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैड़र पुनर्गठन के बिन्दु सं0 1 के अनुसार उक्त कार्मिकों को जूनि0 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद, लेवल–5 पर पदस्थापित/संविलीन करते हुए का0आ0सं0 5095 दिनांक 10.02.2024 द्वारा उन्हें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद, लेवल–6 पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।		

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
17.	श्री रावेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 08.04.2024	उक्त कार्मिक द्वारा का0आ0सं0 5096 दिनांक 10.02.2024 द्वारा की गयी पदोन्नति के क्रम में उनकी पदोन्नति न होने से अवगत कराते हुए उल्लेख किया है कि– उनकी नियुक्ति एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा मांगी गयी शैक्षिक योग्यता/अर्हता पूर्ण होने के आधार पर ही इस विश्वविद्यालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 12.05.2006 को की गयी थी। उक्त के क्रम में इनके द्वारा पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 3 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में दिनांक 09.02.2024 को लिये गये निर्णय के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने के कारण उक्त कार्मिक को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी है।	उक्त प्रकरण मे विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	
18.	श्रीमती कान्ती यादव, श्री विनोद कुमार पाल, श्रीमती रूचि यादव, श्री प्रेमलाल व श्री कुलदीप कुमार, द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 21.02.2024/29.02.2024 व 13.03.2024	उक्त कार्मिको द्वारा जूनि0 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर 06 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरान्त कैडर के मानकीकरण के अनुसार पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 29.02.2024 पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा "Put up the issue before me." के निर्देश प्राप्त हुए हैं।	उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 01 के क्रम में उक्त कार्मिकों को जूनि0 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद पर पदस्थापित किया गया है।	उक्त कार्मिकों द्वारा 06 वर्ष की सेवा फरवरी, 2024 को पूर्ण की गयी है। अतः वर्ष 2023–24 की ए0सी0 आर0 (ACR) प्राप्त होने के उपरान्त ही उनकी पदोन्नति मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद पर किये जाने पर विचार किया जायेगा।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।
19.	श्रीमती रेनू मिश्रा, लैब टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 12.04.2024	उक्त कार्मिक द्वारा का0आ0सं0 5095 दिनांक 10.02.2024 द्वारा की गयी पदोन्नति के क्रम में उनकी पदोन्नति न होने से अवगत कराते हुए उल्लेख किया है कि– नियुक्ति के समय मांगी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण थी। उक्त शैक्षिक अर्हता के आधार पर प्रार्थिनी की नियुक्ति विकलांग श्रेणी (श्रवण बाधित) में लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 20.10.2012 को की गयी थी। प्रार्थिनी के पास कुल सेवा 23 वर्ष का अनुभव है। उक्त के क्रम में इनके द्वारा पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 3 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में दिनांक 09.02.2024 को लिये गये निर्णय के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने के कारण उक्त कार्मिक को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी है।	उक्त प्रकरण मे विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	

क्रमशः.......12

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	शिकायत/प्रार्थना पत्र	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण	प्रस्ताव	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
20.	श्री महेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.02.2024 व 11.04.2024	उक्त कार्मिक का पत्र लैब टेक्नीशियन के प्रोन्नति सूची में नाम शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसमें उन्होंने इस विश्वविद्यालय में अपना चयन लैब टेक्नीशियन पद पर एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा विज्ञापित लैब टेक्नीशियन पद, शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट विज्ञान या समकक्ष तथा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (01 साल का अनुभव सहित) के सापेक्ष किये जाने का उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन सम्बन्धी आदेश में जूनि0 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट विज्ञान व 02 वर्षीय डिप्लोमा है। उक्त शैक्षिक अर्हता एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उक्त पद पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन (इन्टरमीडिएट विज्ञान एवं 01 वर्षीय डिप्लोमा) से भिन्न है तथा का0आ0सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 के बिन्दु सं0 7 में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गयी थी, से पूर्णतया भिन्न होने का उल्लेख करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में इन्टरमीडिएट विज्ञान व 01 वर्षीय डिप्लोमा के आधार पर लैब टेक्नीशियन की प्रोन्नति तथा लैब अटेन्डेन्ट, जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट विज्ञान है, को टेक्निकल ऑफिसर पद पर प्रोन्नति किया गया है। उक्त पत्र में उन्होंने उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए प्रोन्नति के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि का0आ0सं0 4626 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के किये गये कैडर पुनर्गठन के बिन्दु सं0 3 के अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में दिनांक 09.02.2024 को लिये गये निर्णय के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने के कारण उक्त कार्मिक को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी है।	उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के उपरान्त ही पदस्थापन एवं पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है तथापि समिति के समक्ष प्रकरण में निर्णयार्थ/ अग्रिम आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत।	समिति द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।

(चिकित्सा अधीक्षक) (कुलसचिव) (वित्त अधिकारी) (प्रतिकुलपति)

(कुलपति)

कैडर पुनर्गठन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2024 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

कैडर पुनर्गठन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2024 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थेः—

1. प्रति कुलपति।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलसचिव।
4. चिकित्सा अधीक्षक।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
6. सम्बन्धित पटल सहायक।

उक्त बैठक में श्री रवि प्रताप सिंह, ऑडियो विजुअल टेक्नीशिन द्वारा न्यू कैडर संरचना के अन्तर्गत सृजित कम्प्यूटर संवर्ग के प्रोग्रामर पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 20.02.2024 पर समिति द्वारा उक्त कार्मिक के प्रत्यावेदन का संज्ञान लिया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन पोषणीय नही पाया गया।

(चिकित्सा अधीक्षक) **(कुलसचिव)** **(वित्त अधिकारी)** **(प्रतिकुलपति)**

(कुलपति)